अपर सचिव
–सह–
अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
अपील सं0–15/2026
मो0 असलम कामिल
बनाम
बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड व अन्य।

उपस्थितिः–

श्री सुशील कुमार झा ..... अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता।
श्री राशिद आलम ..... प्रतिवादी सं0–8 के विद्वान अधिवक्ता।
शहजाद हसन खान एवं
असलम अंसारी ..... बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

अपीलार्थी मो0 असलम कामिल, पिता–मोकीमुद्दीन, ग्राम–बोचागरी, वार्ड सं0–15, थाना–बहादुरगंज, जिला–किशनगंज ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के अध्यक्ष के आदेश ज्ञापांक 790 दिनांक 17.03.2026 को इस अपील में चुनौती दी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय प्राधिकार के संज्ञान में यह तथ्य लाया कि यह मामला मदरसा इस्लाहुल मुसलेमीन बोचागारी, पो0–निशान्दरा, थाना–बहादुरगंज, जिला–किशनगंज, मदरसा सं0–534 से संबंधित है, जिसमें मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रश्नगत आदेश द्वारा प्रतिवादी सं0–8 के निलंबन की स्वीकृति को एवं प्रतिवादी सं0–7 के प्रभारी प्रधान मौलवी की स्वीकृति को वापस लेते हुए प्रतिवादी सं0–8 को यह निदेश दिया है कि वह मदरसा में अपना योगदान दें, साथ ही साथ उनके वेतन भुगतान का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, बहादुरगंज को निदेश दिया गया है कि प्रधान मौलवी द्वारा प्रस्तुत वेतन विपत्र पर नियमानुसार भुगतान हेतु प्रतिहस्ताक्षर करने का कष्ट करेंगे।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व में प्रतिवादी सं0–8 मदरसा के प्रधान मौलवी के पद पर कार्यरत थे, किन्तु प्रबंध समिति के विवाद, जिसका अंतिम निष्पादन अपील सं0–06/2015 में अपीलीय प्राधिकार के आदेश ज्ञापांक 295 दिनांक 06.01.2020 द्वारा किया गया, के पूर्व से ही वे मदरसा से बिना अवकाश की अनुमति लिए ही गायब हो गए। आदेश ज्ञापांक 295, दिनांक 06.01.2020 में अपीलीय प्राधिकार द्वारा यह निदेशित किया गया था कि मदरसा में जाँच कराकर प्रबंध समिति के अनुमोदन की विधिक प्रक्रिया पूर्व होने तक इस अपीलार्थी की प्रबंध समिति कार्यरत रहेगी और यह भी निदेशित था कि अपीलार्थी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बने मदरसा के भवन में जबतक सभी शिक्षक–शिक्षकेत्तर कर्मी अपना योगदान नहीं करेंगे तब तक वे वेतन के हकदार नहीं होंगे। इसके बावजूद प्रतिवादी सं0–8

उक्त स्थल पर मदरसा में अपना योगदान, प्रश्नगत आदेश निर्गत होने से पूर्व, नहीं दिया। प्रबंध समिति गठन के लिए गठित संयुक्त जाँच समिति ने अपने जाँच प्रतिवेदन दिनांक 08.04.2021 में प्रतिवादी सं0–8 के मदरसा से अनुपस्थित रहने का जिक्र किया है। चूँकि आदेश ज्ञापांक 295, दिनांक 06.01.2020 के अनुसार अपीलार्थी की प्रबंध समिति मदरसा का प्रबंधन कर रही थी, इसलिए अनगिनत सूचनाएँ प्रतिवादी सं0–8 को भेजा गया कि वे मदरसा की सामग्री, जो उनके पास है, के साथ मदरसा में अपना योगदान करें किन्तु प्रतिवादी सं0–8 ने योगदान नहीं दिया। अंततः बाध्य होकर अपीलार्थी की प्रबंध समिति ने प्रतिवादी सं0–8 को दिनांक 06.08.2020 की बैठक के प्रस्ताव सं0–2 द्वारा निलंबित कर दिया और इसकी सूचना प्रतिवादी सं0–8 को दिनांक 10.08.2020 के निलंबित पत्र द्वारा डाक से उनके स्थायी पते पर भेज दिया। प्रबंध समिति गठन के लिए गठित संयुक्त जाँच समिति के जाँच प्रतिवेदन दिनांक 08.04.2021 के आलोक में अपीलार्थी के प्रबंध समिति का अनुमोदन के साथ ही प्रबंध समिति के निर्णय के आलोक में ज्ञापांक 1925 दिनांक 27.08.2021 द्वारा प्रतिवादी सं0–8 के निलंबन के निर्णय का अनुमोदन भी मदरसा शिक्षा बोर्ड ने कर दिया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि प्रतिवादी सं0–8 ने मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा उनके निलंबन को स्वीकृति दिए जाने संबंधी उपरोक्त आदेश के विरूद्ध अपील सं0–98/2022 दाखिल किया। अपीलीय प्राधिकार ने अपने आदेश ज्ञापांक 212, दिनांक 31.01.2025 द्वारा मदरसा शिक्षा बोर्ड के आदेश ज्ञापांक 1925, दिनांक 27.08.2021 को नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध मानते हुए विखंडित कर दिया, जबकि अपीलार्थी की प्रबंध समिति ने लगातार लंबी अवधि तक अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी सं0–8 को दिनांक 22.08.2024 के निर्णय द्वारा सेवा से बर्खास्त भी कर दिया था। अपीलार्थी ने अपीलीय प्राधिकार के आदेश ज्ञापांक 212, दिनांक 31.01.2025 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष याचिका C.W.J.C. No. 4695/2025 में चुनौती दिया, जिसे निष्पादित करते हुए आदेश दिनांक 29.01.2026 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी सं0–8 को निदेश दिया गया कि वे मदरसा शिक्षा बोर्ड के समक्ष आदेश की प्रति के साथ आवेदन दें, जो नियमानुसार आदेश पारित करेंगे किन्तु मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने अपीलार्थी को बिना सूचना दिए और सुनवाई का अवसर दिए ही यह आदेश दे दिया कि प्रतिवादी सं0–8 मदरसा के प्रधान मौलवी के पद पर अपना योगदान दें और स्वयं ही अपना वेतन विपत्र तैयार कर वेतन भुगतान प्राप्त कर लें। साथ ही प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, बहादुरगंज को निदेश दिया है कि वे प्रतिवादी सं0–8 द्वारा प्रस्तुत वेतन विपत्र को प्रतिहस्ताक्षरित कर दें, जबकि प्रतिवादी सं0–8 पिछले छः–सात वर्षों से मदरसा से फरार हैं, जिसके कारण उन्हें निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में भी वे मदरसा में उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण मदरसा की प्रबंध समिति ने बाध्य होकर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था। प्रश्नगत आदेश की तिथि को अर्थात दिनांक 17.03.2026 को मदरसा में प्रबंध समिति कार्यरत नहीं थी फिर भी योगदान देने का आदेश देकर प्रबंध समिति के अधिकारिता का उपयोग किया गया, जो सर्वथा नियमावली, 2022 के विपरीत है क्योंकि शिक्षकों का योगदान केवल प्रबंध समिति ही स्वीकृत कर सकती है। वेतन भुगतान का आदेश

Vijay

देने से पहले अनुपस्थित अवधि की सेवा को सेवा–अवधि मानने या न मानने संबंधी निर्णय भी प्रबंध समिति के स्तर से लिया जाना चाहिए था, किन्तु बिना अनुपस्थित अवधि की सेवा को सेवा अवधि माने ही वेतनादि भुगतान का आदेश दिया जाना सरासर सरकारी राशि का लूट करना है। अतः मदरसा से लगभग छः–सात वर्षों तक बिना अवकाश की स्वीकृति के फरार रहने वाले प्रतिवादी सं0–8 वेतन के हकदार नहीं है। मदरसा शिक्षा बोर्ड ने मदरसा में दिनांक 17.03.2026 तक प्रबंध समिति का गठन/अनुमोदन भी नहीं दिया है, जबकि केवल प्रबंध समिति में यह शक्ति निहित है कि वह शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी का योगदान स्वीकार कर सकती है। मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा इस तथ्य का निर्णय लिए बिना ही कि प्रतिवादी सं0–8 की अनुपस्थिति की अवधि को सेवा अवधि मानी जाएगी अथवा नहीं, वेतन भुगतान का आदेश देकर सरकारी राशि के अपव्यय का आदेश पारित कर दिया। यदि प्रतिवादी सं0–8 अपने पद पर योगदान करते हैं तो वे स्वयं अपना वेतन विपत्र तैयार करके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवा लेंगे और बिना कार्य किए ही लगभग सात वर्षों की अनुपस्थिति के अवधि का वेतन भुगतान ले लेंगे जिससे राज्य सरकार को अपूरणीय आर्थिक क्षति होगी क्योंकि राज्य सरकार के विभिन्न निदेशों, माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्थापित नियमन है कि बिना कार्य किए किसी को वेतन का भुगतान नहीं किया जा सकता है विशेषकर उस स्थिति में जब वह कर्मी अपने कर्त्तव्य पालन करने से अनुपस्थित रहा हो। अतः प्रश्नगत आदेश ज्ञापांक 790, दिनांक 17.03.2026 पर रोक लगाई जाए।

प्रतिवादी सं0–8 का पक्षः–

प्रतिवादी सं0–8 के विद्वान अधिवक्ता ने अपना जवाब दाखिल करते हुए इस अपील की पोषणीयता का प्रश्न उठाया और बताया कि मदरसा शिक्षा बोर्ड ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C. No. 4695/2025 में दिनांक 29.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत आदेश पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि प्रश्नगत आदेश पर रोक लगाई जाती है तो यह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.01.2026 की अनदेखी मानी जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील दाखिल किया है। अतः उनके विरूद्ध कड़ा दंड अधिरोपित करते हुए इस अपील को खारिज किया जाए।

मदरसा शिक्षा बोर्ड का पक्षः–

मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मदरसा शिक्षा बोर्ड के आदेश ज्ञापांक 790, दिनांक 17.03.2026 पर रोक लगाए जाने की माँग का कड़ा विरोध किया और यह बताया कि प्रतिवादी सं0–8 प्रश्नगत मदरसा के प्रधान मौलवी हैं और उनके निलंबन को माननीय उच्च न्यायालय ने गलत करार देते हुए मररसा शिक्षा बोर्ड को उनके योगदान कराने का नियमसंगत आदेश पारित करने का निदेश दिया है, जिसके आलोक में मदरसा शिक्षा बोर्ड ने यह आदेश पारित किया है, इसमें किसी प्रकार के रोक या

Vian

हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। यदि प्रसंगाधीन आदेश में कोई त्रुटि हो तो उक्त के निराकरण के लिए इसे बोर्ड को रिमांड कर दिया जाए।

निष्कर्षः– सभी पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विभिन्न बिन्दुओं पर लंबी मौखिक बहस सुनने तथा अपीलार्थी की अपील याचिका एवं प्रतिवादी सं0–8 के लिखित जवाब के गहन अवलोकन से प्रथमदृष्ट्या ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड का प्रश्नगत आदेश ज्ञापांक 790, दिनांक 17.03.2026 नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है। यद्यपि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 4695/2025 में पारित दिनांक 29.01.2026 के आदेश में प्रतिवादी सं0–8 को यह निदेश दिया गया था कि वह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति के साथ मदरसा शिक्षा बोर्ड में आवेदन दाखिल करेंगे और मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमानुसार प्रतिवादी सं0–8 के योगदान स्वीकृत करने संबंधी आदेश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पारित करेगी कि प्रसंगाधीन मदरसा में अभी कोई प्रबंध समिति कार्यरत नहीं है और माननीय उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा बोर्ड से यह भी अपेक्षित किया कि मदरसा के प्रबंध समिति के गठन के संबंध में शीघ्रता से निर्णय ले। इस मामले में अपीलार्थी और मदरसा के प्रभारी प्रधान मौलवी को सुनवाई का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए था, ताकि सभी तथ्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के समक्ष रखा जा सकता।

बोर्ड के प्रश्नगत आदेश ज्ञापांक 790, दिनांक 17.03.2026 एवं संचिका में मौजूद तथ्यों के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि प्रश्नगत आदेश द्वारा प्रतिवादी के योगदान देने एवं उसके वेतन भुगतान के आदेश पारित करने में मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रक्रियात्मक भूल की गई है। प्रतिवादी सं0–8 के निलंबन अवधि को कर्त्तव्य पर बितायी गई अवधि माना गया है अथवा नहीं इसका उल्लेख प्रश्नगत आदेश में नहीं किया गया है।

इस अपील की सुनवाई में जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बहादुरगंज से भी प्रतिवेदन की माँग की गई थी, जिनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रतिवादी सं0–8 ने स्वयं ही वेतन विपत्र तैयार कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बहादुरगंज से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर जिला कार्यालय में भुगतान के लिए जमा किया है किन्तु राशि की अनुपलब्धता के कारण भुगतान नहीं हुआ है। संबंधित पदाधिकारियों के लिए मदरसा शिक्षा बोर्ड के आदेश का अनुपालन करने की बाध्यता होती है।

यह मामला सरकारी राजस्व के भुगतान से संबंधित है, जो एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित है, जो कई वर्षों से मदरसा से अनुपस्थित रहे हैं। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा किसी प्रकार का निर्णय लेते समय कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं होनी चाहिए थी, किन्तु प्रश्नगत आदेश निर्गत करने में मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रक्रियात्मक त्रुटि की गई है।

अतः बोर्ड के प्रश्नगत आदेश ज्ञापांक 790, दिनांक 17.03.2026 को विखंडित करते हुए इस मामले को मदरसा शिक्षा बोर्ड को वापस किया जाता है, ताकि बोर्ड ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा जारी समय–समय पर दिए गए निदेशों, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित सभी नियमनों का अनुशीलन करते हुए अपीलार्थी एवं सभी संबंधित पक्षों को सुनकर मुखर एवं सकारण आदेश तीन माह के भीतर पारित करें। इस निदेश के साथ इस अपील की सुनवाई समाप्त की जाती है।

ह0/–
(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 62 दिनांक 12/05/2026

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष/सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, बिहार, 05, विद्यापति मार्ग, पटना/मो0 असलम कामिल, पिता–मोकीमुद्दीन, ग्राम–बोचागरी, वार्ड सं0–15, थाना–बहादुरगंज, जिला–किशनगंज/मो0 सद्दाम, प्रभारी प्रधान मौलवी, मदरसा इस्लाहुल मुस्लेमिन, पो0–निशान्दरा, थाना–बहादुरगंज, जिला–किशनगंज, मदरसा सं0–534/मो0 इदरीश आलम, पिता–स्व0 बशीरूद्दीन, ग्राम–सतमारी, पो0–निशान्दरा, थाना–बहादुरगंज, जिला–किशनगंज/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, बहादुरगंज, किशनगंज/जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), किशनगंज/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Vijay 12/5/26
(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।